मनमानी कृषि भूमि पर तानी कॉलोनी, शासन को लगाई 98 लाख की चपत, ईओडब्ल्यू ने बिल्डर पर दर्ज की एफआईआर

बिना अनुमति बनाई रघुकुल वैली कॉलोनी

जबलपुर। भेड़ाघाट स्थित भड़पुरा में बिना वैधानिक अनुमति के कृषि भूमि पर रघुकुल वैली विकसित कर शासन को करीब 98 लाख रुपये के राजस्व की चपत लगाने के मामले में ईओडब्ल्यू जबलपुर ने बिल्डर अकुल पाण्डेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी अनुसार बिल्डर अकुल पाण्डेय निवासी एसबीआई कालोनी, आनंदकुंज गढ़ा द्वारा ग्राम भड़पुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105/1, 105/2 पर रघुकुल वैली का निर्माण किया जा रहा था। नगर व ग्राम निवेश की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी भूमि भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। नियमत: यहाँ आवासीय कॉलोनी का निर्माण प्रतिबंधित है, बावजूद इसके आरोपी ने बिना किसी स्वीकृत ले-आउट या विकास अनुज्ञा के निर्माण कार्य जारी रखा।

इन शुल्कों को डकार गया बिल्डर

जांच में पाया गया कि आरोपी बिल्डर ने कॉलोनी विकास के लिए अनिवार्य सरकारी शुल्कों का भुगतान नहीं किया, जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति हुई। जिसमें अनुज्ञा शुल्क लगभग 11 लाख रुपये, आश्रय शुल्क लगभग 78 लाख रुपये, पर्यवेक्षण एवं कर्मकार शुल्क लगभग 9 लाख रुपये, कुल 98,00,000 रूपए की क्षति पहुंचाई ।

आम जनता के साथ धोखा

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच आरोपी ने बिना भूमि डायवर्सन और बिना आवश्यक पंजीकरण के कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लॉट्स) में विभाजित कर अवैध रूप से बेचा। इस प्रक्रिया में न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि आम जनता और हितग्राहियों को भी गुमराह कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। ईओडब्ल्यू ने आरोपी अकुल पाण्डेय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

शासन को लगाया 9 लाख का चूना, राजस्व अधिकारियों समेत अन्य पर प्रकरण दर्ज

नरसिंहपुर एन.एच. 12 जबलपुर-भोपाल रोड में किसानों की कृषि भूमि को लीज पर लेकर स्टॉप डयूटी की चोरी के साथ डायवर्जन शुल्क की भी हेराफेरी कर नौ लाख रूपए का शासन को चूना लगाया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने नरसिंहपुर के तत्कालीन राजस्व अधिकारियों और मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। ईओड ब्ल्यू से मिली जानकारी अनुसार कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सुभाष त्यागी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ग्राम बंधी (एन.एच. 12 जबलपुर-भोपाल रोड) में किसानों की कृषि भूमि को लीज पर लिया था। इस प्रक्रिया में लीज रजिस्ट्रेशन शुल्क और भूमि डायवर्जन की राशि में हेराफेरी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। कंपनी द्वारा वर्ष 2018 से कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसका डायवर्जन नहीं कराया गया। पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने मिलीभगत कर पोर्टल पर वास्तविक भूमि से कम भूमि दर्ज की, जिससे शासन को लगभग 9 लाख की क्षति हुई। जिला पंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार, लीज एग्रीमेंट में उचित स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया। विभिन्न खसरा नंबरों की जांच में पाया गया कि लगभग 50,000 रुपये कम स्टाम्प शुल्क जमा न कर शासन को चूना लगाया गया।

अधिकारियों की मिलीभगत उजागर-जांच में पाया गया कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने मौके का निरीक्षण किए बिना और बिना किसी वैध दस्तावेज के ही गलत गणना पत्रक तैयार किया, जिससे कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचा संपूर्ण जांच के पश्चात शासन को 9,50,000 रुपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई। मामले में विश्व प्रताप सिंह राजपूत (हल्का पटवारी) 2- अरूण तिवारी तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, सुभाष त्यागी डायरेक्टर, मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरठ एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईओडब्ल्यू जबलपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

शिवराज के साथ वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह भी दोषमुक्त

राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने वापस लिया मानहानि का केस

जबलपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा मानहानि का केस वापस लिए जाने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खजुराहो सांसद वीडी शर्मा व भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह को भी दोषमुक्त कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी तन्खा की ओर से अधिवक्ता सोम मिश्रा व शिवराज सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा खड़े हुए। दलील दी गई कि यह परिवाद चार जनवरी 2025 को दायर किया गया था। 29 अप्रैल 2023 को परिवादी के कथन अंकित किए गए थे। कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को शिवराज सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था। किंतु इससे पहले की इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाता, इससे पूर्व परिवादी तन्खा की ओर से मानहानि का प्रकरण वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग का था मामला

यह मामला 2021 में हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ा था। उन दिनों विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक केस में पेश हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कुछ बयान दिए थे। तन्खा का कहना था कि इन बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्हें सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। इसे आधार बनाते हुए उन्होंने सिविल और क्रिमिनल मानहानि केस दर्ज करवाए। सिविल केस में 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। वहीं, आपराधिक शिकायत में आईपीसी की धारा 500 के तहत कार्यवाही की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के सुझाव के बाद, शिवराज व तन्खा ने लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। संसद में मुलाकात और बातचीत के बाद, विवेक तन्खा ने चुनाव के दौरान दिए गए बयानों के संबंध में दायर किए गए सिविल और आपराधिक मानहानि के मामलों को वापस लेने का फैसला किया। समझौते को अभिलेख पर लेते हुए करते सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश व न्यायमूर्ति एनके सिंह की युगलपीठ ने मानहानि के प्रकरण को निरस्त करने का राहतकारी आदेश पारित कर दिया था। तन्खा ने आरोप लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पंचायत चुनावों पर रोक के लिए दोषी ठहराया। ऐसा करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों को गलत तरीके से पेश किया। इसी के व्यथित होकर उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया था। बाद में अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, जो जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहने के दौरान प्रकरण निरस्त कराने शिवराज सहित अन्य पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे।

अधारताल के समीप टूटी ओएचई लाइन, ट्रेनें हुई प्रभावित

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेल मंडल के कटनी-जबलपुर रेलखंड के देवरी-अधारताल के बीच सीआरओ यानि कैटल रन ओवर होने के कारण ओएचई लाइन क्षतिग्रस्त हो गई जिसके चलते अप लाइन पर यातायात लगभग 2 घंटों के लिए बाधित रहा इस दौरान लगभग 8 गाडियों को स्टेशनों पर रोक दिया गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार 11 मार्च की दोपहर 12 बजे के लगभग एक ट्रेन कटनी की ओर से जबलपुर आ रही थी इसी दौरान किलोमीटर 1003-3 पर ट्रेन के इंजिन से एक मवेशी टकरा गया, जो उछलकर ओएचई के खंभे पर जाकर लगा, जिस कारण सेंटीलीवर व ओएचई वायर क्षतिग्रस्त हो गई और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई घटना की जानकारी लगते ही जबलपुर से ओएचई लाइन दुरुस्त करने टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य कर यातायात बहाल करने में जुटी हुई थी।

ज़्यादातर मालगाड़ियाँ हुई प्रभावित

सूत्रो द्वारा बताया जाता है कि इस घटना से कटनी से जबलपुर (अप लाइन) से आने वाली लगभग 8 गाडियां प्रभावित हुई जिनमें से चार मालगाड़ियां थी वही तीन यात्री गाड़ियाँ थी, जिन्हें स्टेशनों पर लगभग दो घंटे खड़ा रखा गया। रेलवे की टीम द्वारा यातायात बहाल कर दिया गया था।

एनआई के चलते जयपुर तक चलेगी दयोदय

जबलपुर, नवभारत। मई महीने में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में कनकपुरा स्टेशन के यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पमरे के जबलपुर से चलने वाली और यहां से होकर गुजरने वाली ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन के अनुसार इस कार्य के कारण मई माह में जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस प्रभावित रहेगी गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 3 से 5 मई, 8 मई और 11 से 14 मई तक जबलपुर से चलकर केवल जयपुर तक ही जाएगी। इस दौरान जयपुर और अजमेर के बीच यह ट्रेन नहीं चलेगी। वही गाड़ी संख्या 12182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 4 से 6 मई, 9 मई और 12 से 15 मई तक अजमेर के स्थान पर जयपुर से चलेगी।

कौन होगा जीआरपी का मुखिया? शिमाला प्रसाद बनीं डीआईजी

फिलहाल खाली पड़ा है पद

जबलपुर, नवभारत। विगत कुछ दिनों पहले रेल पुलिस अधीक्षक शिमाला प्रसाद को डीआईजी के रूप में पदोन्नत किया गया था। जिस के बाद से ही जबलपुर जीआरपी में एसआरपी का पद खाली हो गया था। वही सूत्रों की माने तो वर्तमान रेल एसपी को उच्च पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद अब जबलपुर जीआरपी की कमान सिवनी के एसपी को सौंपी जा सकती है।जानकार ये भी बताते है कि सिवनी एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता के आधार पर यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। जबलपुर रेल मंडल की संवेदनशीलता और बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वही इन दिनों इकाई में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं त्योहारों और विशेष अवसरों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

जारी नहीं हुए आदेश

रेल एसपी की पदोन्नति को विभाग में उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है वहीं संभावित नये एसआरपी को लेकर जीआरपी अमले में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं लेकिन पुलिस महकमे में संभावित बदलाव को लेकर हलचल बनी हुई है। बहरहाल आदेश जारी होते ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, फिलहाल नई तैनाती को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है उल्लेखनीय है कि जबलपुर जीआरपी इकाई पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रेलवे स्टेशनों और लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था संभालती है। यात्रियों की सुरक्षा, चोरी, लूट, नशाखोरी, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और अपराधियों की धरपकड़ जैसी जिम्मेदारियां इसी इकाई पर होती हैं। ऐसे में नए रेल एसपी की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महिला शिक्षक से अभद्रता करने वाले विभागाध्यक्ष की जांच शुरू

रादुविवि में की गाली-गलौच, महिला समिति कर रही जांच

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विगत दिनों गणित एवं कम्प्यूटर साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष पर महिला अतिथि शिक्षक से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगे है। शिकायत कुलगुरु कार्यालय तक पहुंचने के बाद मामले की जांच विश्वविद्यालय की महिला समिति को सौंप दी गई है। सूत्रों के

अनुसार पीड़ित महिला शिक्षक ने शिकायत में बताया कि वह वर्ष 2019 से कम्प्यूटर साइंस विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आरोप है कि 2 मार्च को दोपहर करीब 3.50 बजे विभागाध्यक्ष ने पूरे स्टाफ के सामने उनके साथ गाली-गलौच की।

हाथ पकड़ने की कोशिश का भी आरोप

महिला शिक्षक का कहना है कि विवाद के दौरान विभागाध्यक्ष ने अभद्रता करते हुए उनका हाथ पकड़ने का भी प्रयास किया था। उन्होंने यह भी कहा कि विभागाध्यक्ष पहले भी स्टाफ और छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं।

सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई घटना

शिकायतकर्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन से घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका कहना है कि 2 मार्च की घटना विभाग में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जिससे जांच में सच्चाई सामने आ सकती है। महिला शिक्षक ने विभागाध्यक्ष की मानसिक स्थिति की भी जांच कराने की मांग की है। फिलहाल महिला समिति पूरे मामले की जांच कर रही है।

आरपीएफ ने पकड़े 12 अवैध वेंडर्स

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन और आउटर क्षेत्र में अवैध रूप से सामान बेचने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग अलग स्थानों से कुल 12 अवैध वेंडरों को पकड़कर उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में अवैध वेंडरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए आरपीएफ ने स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और आउटर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया।आरपीएफ टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 12 वेंडरों को पकड़ लिया और उन्हें आरपीएफ पोस्ट लाकर रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अचानक पहुंची एनएचएसआरसी की टीम

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर जिले के पाटन ब्लॉक के बोरिया और शहपुरा ब्लॉक के भिड़की स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का बुधवार को नई दिल्ली एनएचएसआरसी की टीम से डॉ. चिन्मयी स्वैन और उत्तर प्रदेश के डॉ. अभिषेक सिंह द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं का औचक दौरा इसलिए सौंपा गया था ताकि वे वर्ष 2023-24 में किए गए मूल्यांकन के बाद इन केंद्रों को दिए गए गुणवत्ता प्रमाणन की निरंतरता का आंकलन कर सकें। एनक्यूएएस गुणवत्ता प्रमाणन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचएसआरसी) द्वारा प्रदान

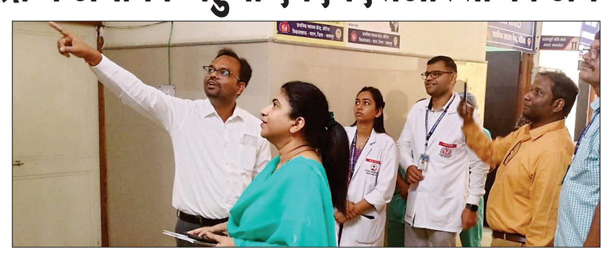

की गई गुणवत्ता चेकलिस्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। इस मौके पर दोनों पीएचसी टीम को रोगी देखभाल से संबंधित प्रक्रियाओं के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता और मानकों को वांछित चेकलिस्ट के अनुसार बनाए रखने के प्रयासों के लिए सराहा गया। वहीं कुछ कमियां भी पाई गईं जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठीक करने को कहा गया। दिल्ली की टीम का निरीक्षण सुबह से शाम तक चला और जिला अधिकारियों को उसी दिन सुबह इसकी सूचना दी गई थी।

पारा 36 डिग्री पार, आज गर्जन के साथ अंधड़ का अलर्ट

जबलपुर। गर्मी की दस्तक के साथ पारे में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार को सुबह से सूर्यदेव तमतमाये रहे। पारा 36 डिग्री पार हो गया जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। दिनभर गर्मी का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह के वक्त आद्रता 45 और शाम को 28 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिमी हवाएं चार से पांच किमी की रफ्तार से चली। वहीं आज गरज के साथ 40-50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ पवनों के मध्य एक टूफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई 52 डिग्री पूर्वी देशांतर व 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर, एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। एक ट्रफ, माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी ऊँचाई पर बिहार से उत्तर छत्तीसगढ़ तक, झारखंड के ऊपर विस्तृत है। उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 167 किमी, घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएँ बह रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

कार्यों में कोताही बरतने वाले 20 कर्मचारियों को नोटिस जारी

निगमायुक्त ने अपनाया सख्त रूख

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कड़ा रुख अपनाया है। निगमायुक्त ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 20 कर-संग्रहिताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मौके पर निगमायुक्मत ने स्पष्ट किया है कि शहर विकास और जनसुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी निर्देश के मुताबिक निगमायुक्त ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी अधीनस्थों को दिए हैं। राजस्व अमले के इन 20 कर्मचारियों पर सख्त एक्शन के बाद अमले के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार बुधवार को निगमायुक्त ने निगम के विभिन्न

महत्वपूर्ण विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राजस्व, बाजार, पीएम स्वनिधि, उद्यान और सीएम हैल्पलाइन जैसे जनहित से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में निर्देश दिए कि शहर की व्यवस्थाओं में सुधार और राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 'फील्ड वर्क' पर विशेष ध्यान दिया जाए।

14 मार्च तक का दिया गया है समय

इस मौके पर निगमायुक्त ने बाजार अधीक्षक को भी निर्देशित किया है कि वे अपनी टीम के साथ केवल कार्यालय तक सीमित न रहकर सीधे फील्ड पर उतरें और लंबित वसूली को गति दें। निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने 14 मार्च तक की समय-सीमा निर्धारित की है।

फर्जीवाड़ा षडयंत्र रच थाने की चौखट से शुरू हुआ ठगी का खेल, आधा दर्जन के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

महिला की करोड़ों की संपत्ति हड़पी, 34 का लाख का लोन भी उठाया

जबलपुर। प्रॉपर्टी विवाद के बाद न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची एक महिला को पुलिस की चौखट पर ही भू माफियाओं ने मदद के नाम पर ठगी का शिकार बना लिया गया। जालसाजों ने षडयंत्र रच महिला की भूमि को धोखे से मुख्तारनामा कराकर फर्जीवाड़े के जरिए ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं 34 लाख रूपए का लोन भी उठा लिया। मामले में आधा दर्जन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक सरोज देवी गुप्ता पति संतोष कुमार गुप्ता निवासी शारदा नगर, करमेता की कुल रकवा 1960 वर्गफुट भूमि है जिस पर मकान एवं दुकान का निर्माण है दुकान उसके रिश्तेदार आशीष गुप्ता व उसके भाई चला रहे है, दुकान में एक गोदाम भी है। सरोज देवी का ननद विमला गुप्ता उसके पुत्र आशीष गुप्ता व भाई विकास गुप्ता से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आधारताल तहसील के खसरा नंबर 457/28/1 पर स्थित अपनी 19 भाग की भूमि और मकान को बचाने के लिए वह माढ़ोताल थाने पहुंची थीं। यहीं से आरोपियों अखिलेश तिवारी और सुमित तिवारी की एंट्री हुई थी। शुरुआत में अखिलेश और सुमित तिवारी ने महिला के पक्ष में खड़े होकर उसके भांजे को भी धमकाया, जिससे सरोज देवी को विश्वास हो गया कि ये लोग उनके हमदर्द हैं। आरोपियों ने महिला को झांसा दिया कि वे न केवल पारिवारिक विवाद सुलझा देंगे, बल्कि कोर्ट-कचहरी के झंझटों से भी मुक्ति दिलाएंगे। भरोसे का फायदा उठाते हुए सोमेश तिवारी ने 73 लाख रुपये का इकरारनामा तैयार करवाया। आरोपियों ने महिला का बैंक खाता खुलवाया था और खुद के पास रखे स्वयं के चेक के जरिए पैसे भी ठिकाने लगा दिए। महिला को अंधेरे में रखकर, उसी फर्जी मुख्तारनामे के दम पर आरोपियों ने करोड़ों की संपत्ति अब्दुल गफूर नामक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दी।

प्रधान आरक्षक ने मिलवाया, दस्तावेज दिलवाये, 15 हजार लिए

सूत्रों के मुताबिक जब पीड़ित महिला फरियाद लेकर माढ़ोताल थाने पहुंची थी तो वहां जांचकर्ता प्रधान आरक्षक पिंकी रजक से मुलाकात हुई थी। जिन्होंने थाना प्रभारी के आदेश पर शिकायत पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की थी। मामला न्यायालय पेश किया गया । इसी दौरान अधिवक्ता अखिलेश तिवारी एवं सोमेश तिवारी दोनों सरोज देवी गुप्ता से मिले थे। पीड़िता का आरोप है कि प्रधान आरक्षक ने ही उन्हें संपत्ति विवाद निपटाने के लिये अधिवक्ता अखिलेष तिवारी व सोमेश तिवारी से मिलवाया था और थाने की कार्यवाही निपटाने के लिये 15 हजार रुपये लिये थे। इसके अलावा पिंकी ने अखिलेष तिवारी को संपत्ति के संबंध में सारे दस्तावेज दिलवाये थे।

ऐसे किसा फर्जीवाड़ा

शिकायतकर्ता सरोज देवी गुप्ता को झांसे में लेकर अखिलेश तिवारी व सोमेश तिवारी कार में बैठकर रजिस्ट्री कार्यालय धनवंतनगर अंधुवा जबलपुर 2 ले गये गए थे जहां वहां पर महेशदत्त राय मिला वहां पर सरोज देवी गुप्ता से अधिवक्ता अखिलेश तिवारी सोमेश तिवारी द्वारा एक पत्र में हस्ताक्षर कराये गए। जबरदस्ती रजिस्टार के सामने ले गये थे। अखिलेश तिवारी, सोमेश तिवारी महेशदत्त राय व दो अन्य व्यक्ति ममुख्तियार आम गवाह राजेशकुमार चौरसिया, नीरज कछवाहा) उपस्थित थे। मुख्तियार आम महेशदत राय के नाम से निष्पादित कराया गया इसके पश्चात उक्त प्रपर्टी को कम दमों में अब्दुल गफूर निवासी आधारताल के नाम से विक्रय पत्र का निष्पादन कराया गया। इसी विक्रय पत्र के आधार पर बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा जबलपुर से 32 लाख रुपये का आवास ऋण अब्दुल गफुर के नाम से लिया गया है। सोमेश तिवारी, महेशदत्त राय द्वारा चेक में दस्ताख्त कराकर बैंक में प्रस्तुत किये गये था। म.प्र.ल ग्रामीण बैंक जबलपुर से आहरण राशि 34 लाख रुपय में से एक रुपये की भी राशि पीड़िता को नहीं मिली। पीड़िता की शिकायत पर माढ़ोताल पुलिस ने महेश दत्त राय, सोमेश तिवारी, अखिलेश तिवारी, सुमित तिवारी, राजेश कुमार चौरसिया, नीरज, अब्दुल गफुर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, साजिश रचने के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57